भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3483
दिनांक 17.12.2024 को उत्तरित

पंचायती राज के अंतर्गत योजना

3483. श्रीमती मालविका देवीः
श्री उम्मेदा राम बेनीवालः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा ओडिशा में पंचायती राज के अंतर्गत उठाए जा रहे कदमों और प्रदान की गई योजनाओं संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा राजस्थान की पंचायतों में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गांवों के विकास के लिए पंचायती राज के अंतर्गत कार्यों की सूची उपलब्ध कराई है;

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्थान में, विशेष रूप से बाड़मेर और जैसलमेर में, जिलेवार कुल कितनी निधि आवंटित और उपयोग की गई है;

(ङ) सरकार द्वारा देश में छोटे गांवों के विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही योजना और उद्देश्य का ब्यौरा क्या है;

(च) राजस्थान सहित देश के राज्यों मे विकास की स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार का विचार पंचायती राज निर्वाचन को 'एक राष्ट्र एक चुनाव' के अंतर्गत लाने का है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रोफ. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) और (ख) पंचायत, "स्थानीय सरकार" होने के कारण, राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची का हिस्सा है। तदनुसार, संविधान के प्रावधानों के अधीन, पंचायतें संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों के माध्यम से स्थापित और संचालित की जाती हैं। देश में पंचायती राज व्यवस्था को साकार करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के लिए निरंतर कदम उठाए

हैं और अध्ययनों, समीक्षा बैठकों, क्षेत्र दौरों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशनों, सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम) आदि के माध्यम से समय-समय पर उनके कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है।

इस मंत्रालय ने प्रयोक्तानुकूल वेब-आधारित पोर्टल, ई-ग्रामस्वराज (https://egramswaraj.gov.in) भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य विकेन्द्रीकृत नियोजन, प्रगति रिपोर्टिंग, वित्तीय प्रबंधन, कार्य-आधारित लेखांकन और सृजित संपत्तियों के विवरण में पारदर्शिता लाना है। इसके अलावा, पंचायती खातों अर्थात ग्राम पंचायतों की प्राप्तियों और व्यय का समय पर ऑडिट सुनिश्चित करने के लिए, इस मंत्रालय ने एक ऑनलाइन एप्लिकेशन-ऑडिटऑनलाइन (https://auditonline.gov.in) शुरू किया है। यह एप्लिकेशन न केवल पंचायत खातों के लेखापरीक्षण की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि ऑडिट रिकॉर्ड को बनाए रखने की भी सुविधा प्रदान करता है। यह एप्लिकेशन ऑडिट पूछताछ, स्थानीय ऑडिट रिपोर्ट का मसौदा, ऑडिट पैरा आदि का मसौदा आदि तैयार करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है और इस प्रकार पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करने के लिए पंचायतों द्वारा खातों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करता है। ये सुधार ओडिशा और राजस्थान राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए हैं।

यह पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों को प्रभावी रूप से काम करने और जमीनी स्तर पर स्थानीयकरण के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) एवं उनके पदाधिकारियों के नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए उनकी शासन क्षमताओं को बढ़ाने हेतु उनको प्रशिक्षण प्रदान करना और क्षमता निर्माण करना है। इसके अलावा, संशोधित आरजीएसए के केंद्रीय घटक अर्थात; पंचायतों का प्रोत्साहन (आईओपी) और ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी-ईपंचायत) योजनाओं को एमओपीआर द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। आईओपी योजना के तहत, सेवाओं की प्रदायगी और सार्वजनिक कल्याण संबंधी कार्य में सुधार के लिए उनके श्रेष्ठ कार्य को मान्यता देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन सहित सर्वश्रेष्ठ कार्य–निष्पादन करने वाली पंचायतों को पुरस्कार दिए जाते हैं। ई-पंचायत (एमएमपी-ईपंचायत) योजना के तहत, पीआरआई के समग्र परिवर्तन के लिए उनके कामकाज में दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए पंचायतों के डिजिटलीकरण की दिशा में विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को वित्तपोषित किया जाता है। ये तीनों योजनाएं ओडिशा और राजस्थान राज्यों सहित भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायतों के सभी स्तरों के लिए लागू की गई हैं।

(ग) भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243छ राज्य के विधानमंडल को उचित स्तर पर पंचायतों को अधिकारों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के लिए कानून द्वारा प्रावधान करने का अधिकार देता है, जो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी और आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं के

कार्यान्वयन के संबंध में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन है, जो उन्हें सौंपी जा सकती हैं, जिनमें ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल मामलों से संबंधित योजनाएं भी शामिल हैं। राज्य विधानसभाओं को पंचायतों को हस्तांतरण के लिए ग्यारहवीं अनुसूची में उदाहरणात्मक रूप से निर्धारित 29 विषयों पर विचार करना है।

उपर्युक्त के अनुरूप, पंचायतें अपने अधिकार क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए अपने पास उपलब्ध संसाधनों, केन्द्र और राज्य सरकारों के तहत अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों से संसाधनों के अभिसरण तथा केन्द्र और राज्य दोनों के वित्त आयोगों द्वारा उपलब्ध कराए गए वित्तीय संसाधनों आदि का उपयोग करके अपनी योजनाएं बनाती हैं।

(घ) से (च): छोटे गांवों सहित गांवों के विकास के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के तहत प्रदान की गई धनराशि के अलावा, चौदहवें और पंद्रहवें केंद्रीय वित्त आयोग के तहत, राजस्थान में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए कुल 16792.90 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिनमें से पिछले पांच वर्षों के दौरान गांवों के विकास के लिए 16200.31 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है। बाड़मेर और जैसलमेर जिलों सहित अपने जिलों के लिए राजस्थान सरकार सहित संबंधित राज्य सरकार द्वारा जिलेवार आवंटन और रिलीज किया जाता है।

चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) अवार्ड (Award) के तहत, राजस्थान सहित 26 राज्यों में संविधान के भाग IX के तहत गठित ग्राम पंचायतों (जीपी) को अवार्ड अवधि 2015-16 से 2019-20 के लिए जलापूर्ति, सेप्टिक प्रबंधन सहित स्वच्छता, सीवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तूफानी जल निकासी, सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव, सड़कों, फुटपाथों और स्ट्रीट-लाइटिंग एवं कब्रिस्तान और श्मशान घाटों के रखरखाव और संबंधित कानूनों के तहत उन्हें सौंपे गए कार्यों के भीतर कोई अन्य बुनियादी सेवा प्रदान करने के लिए 2,00,292.20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। चौदहवें वित्त आयोग अवॉर्ड के तहत प्रदान किए गए अनुदान का उपयोग ग्राम पंचायतों द्वारा उनकी जरूरतों के आधार पर बुनियादी सेवाएं प्रदान करने की दिशा में किया गया था।

इसके अलावा, वर्तमान में पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) अनुदान 28 राज्यों में पंचायतों और पारंपरिक निकायों के सभी तीन स्तरों में ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLB) को प्रदान किए जाते हैं। 15वें वित्त आयोग अनुदान के दो घटक; अर्थात्, मूल (अनटाइड) अनुदान और टाइड अनुदान हैं । मूल (अनटाइड) अनुदान का उपयोग वेतन और अन्य स्थापना लागतों को छोड़कर, भारत के संविधान की 'ग्यारहवीं अनुसूची' में निहित 29 विषयों के तहत बुनियादी सुविधाओं की ज़रूरतों के लिए किया जा सकता है। टाइड अनुदानों का उपयोग बुनियादी सुविधाओं, विशेष रूप से, पेयजल और स्वच्छता के लिए किया जाना है।

(छ) इस संबंध में कोई भी प्रस्ताव इस विभाग में लंबित नहीं है। एक राष्ट्र एक चुनाव की वेबसाइट (https://onoe.gov.in) पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस मामले में गठित उच्च स्तरीय समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की है कि दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनावों को लोक सभा और राज्य विधानसभाओं के साथ इस तरह से समन्वयित किया जाएगा कि नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव लोक सभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के 100 दिनों के भीतर कराए जाएं।

***